

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर  
बी.ए. द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर-IV) परीक्षा, जून-2025 (नियमित)  
विषय: पंचायत समिति का कार्य  
पर्णांक: 70  
समय: 3 घण्टे

#### सामान्य निर्देश:

- इस प्रश्न-पत्र के दो भाग हैं: भाग-अ और भाग-ब।
- भाग-अ के सभी दस प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।
- भाग-ब में कुल दस प्रश्न हैं। किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- प्रत्येक इकाई से कम-से-कम एक प्रश्न का चयन करना अनिवार्य है।

भाग-अ (लघु उत्तरीय प्रश्न)  
2 अंक x 10 प्रश्न = 20 अंक

#### प्रश्न 1: पंचायत समिति का गठन कैसे होता है?

उत्तर: पंचायत समिति का गठन मध्यवर्ती स्तर पर होता है। इसके सदस्यों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, उस क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच, राज्य सभा एवं लोक सभा के सदस्य जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं, विधान परिषद एवं विधान सभा के सदस्य जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं, तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य शामिल होते हैं।

#### प्रश्न 2: पंचायत समिति के दो प्रशासनिक कार्य लिखिए।

उत्तर: पंचायत समिति के दो प्रशासनिक कार्य हैं:

- यह अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करती है।
- यह अपने कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और उन पर नियंत्रण रखती है।

#### प्रश्न 3: 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' में पंचायत समिति की क्या भूमिका है?

उत्तर: सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पंचायत समिति एक प्रमुख इकाई के रूप में कार्य करती है। यह कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने, समन्वय स्थापित करने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

#### प्रश्न 4: पंचायत समिति के आय के कोई दो स्रोत बताइए।

उत्तर: पंचायत समिति के आय के दो स्रोत हैं:

- राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान: यह इसकी आय का मुख्य स्रोत है।
- स्थानीय कर: जैसे सम्पत्ति कर, पथ कर, मेले-बाजारों पर लगने वाले शुल्क आदि।

#### प्रश्न 5: जिला परिषद और पंचायत समिति के बीच मध्य अंतर क्या है?

उत्तर: जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है जबकि पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर है। जिला परिषद परे जिले के विकास योजनाओं का समन्वय करती है, जबकि पंचायत समिति का दायरा एक ब्लॉक या तहसील तक सीमित होता है।

#### प्रश्न 6: पंचायत समिति के सामाजिक कल्याण संबंधी कोई दो कार्य लिखिए।

उत्तर:

- अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों का संचालन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा और सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

#### प्रश्न 7: पंचायत समिति के अध्यक्ष के कोई दो कर्तव्य बताइए।

उत्तर:

- अध्यक्ष पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनका संचालन करता है।

2. वह समिति के कार्यों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है तथा उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है।

प्रश्न 8: पंचायत समिति की वित्त समिति के कार्य क्या हैं?

उत्तर: वित्त समिति पंचायत समिति के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करती है। इसके कार्यों में बजट तैयार करने में सहायता करना, आय-व्यय की समीक्षा करना, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना और निवेश पर सलाह देना शामिल है।

प्रश्न 9: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत समिति की स्थिति को कैसे मजबूत किया?

उत्तर: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने इसके गठन, चुनाव, आरक्षण और कार्यों को संविधान की एक नई अनुसूची (11वीं) में शामिल करके एक सुनिश्चित और एकरूपता वाली संरचना प्रदान की।

प्रश्न 10: पंचायत समिति की कार्यपालिका अधिकारी (CEO) की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: कार्यपालिका अधिकारी पंचायत समिति का एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह समिति के निर्णयों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है तथा प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है।

---

भाग-ब (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

10 अंक x 5 प्रश्न = 50 अंक

(नोट: विद्यार्थियों को निर्देशानुसार किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।)

प्रश्न 1: पंचायत समिति से आप क्या समझते हैं? इसके गठन एवं संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति का अर्थ: पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। इसका गठन एक विकास खंड (ब्लॉक) के स्तर पर किया जाता है। यह ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है तथा खंड स्तर पर विकास योजनाओं के नियोजन, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए मुख्य इकाई है।

गठन एवं संगठन:

पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य: समिति के अधिकांश सदस्य उस खंड के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- पदेन सदस्य: खंड की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसकी पदेन सदस्य होते हैं।
- सांसद एवं विधायक: वे सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) और विधायक (विधान सभा एवं विधान परिषद) जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं, इसके सदस्य होते हैं।
- आरक्षण: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होता है, जैसा कि राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित है।
- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष: समिति का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिनका चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 2: पंचायत समिति के कार्यों का वर्गीकरण करते हुए उसके प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों का विस्तृत विवेचन कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति के कार्यों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्रशासनिक, विकासात्मक और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य।

#### (क) प्रशासनिक कार्य:

1. अधीनस्थ निकायों का पर्यवेक्षण: यह अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन करती है।
2. कार्यकारी अधिकारी: यह अपने कार्यकारी अधिकारी (CEO) तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है।
3. रिकॉर्ड रखना: यह ग्राम पंचायतों के बजट, लेखा-जोखा और कार्यवाही के रिकॉर्ड को बनाए रखती है।
4. नियम बनाना: यह अपने कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक नियम और उपनियम बना सकती है।

#### (ख) विकासात्मक कार्य:

1. कृषि विकास: improved बीजों, खादों का वितरण, कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
2. शिक्षा: प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन, स्कूल भवनों का निर्माण एवं मरम्मत, और शिक्षा के स्तर में सुधार के उपाय।
3. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों का प्रबंधन, टीकाकरण अभियान चलाना, और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।
4. सार्वजनिक निर्माण कार्य: सड़कों, पुलों, नालियों आदि का निर्माण एवं रखरखाव।
5. ग्रामीण उद्योग: लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और उनके लिए ऋण की व्यवस्था करना।

प्रश्न 3: पंचायत समिति की आय के स्रोत क्या-क्या हैं? इसकी वित्तीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

पंचायत समिति के आय के स्रोत:

1. राज्य सरकार द्वारा अनुदान: यह इसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलने वाला अनुदान शामिल है।
2. स्थानीय कर: सम्पत्ति कर, पथ कर, पशु कर, मेलों एवं बाजारों पर लगने वाला कर आदि।
3. फीस एवं शुल्क: Building construction permit fees, trade license fees, water charges आदि।
4. ऋण: कछौतिशेष परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना।
5. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कोष: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धन।

वित्तीय समस्याएं:

1. वित्तीय संसाधनों की कमी: पंचायत समितियों के पास अपने स्वयं के राजस्व के सीमित स्रोत हैं, जिससे वे राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर रहती हैं।
2. अनुदान में अनियमितता: राज्य सरकार से अनुदान का समय पर न मिलना योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है।
3. वित्तीय स्वायत्ता का अभाव: अधिकांश निधियां विशिष्ट योजनाओं के लिए निर्धारित होती हैं, जिससे समिति अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार धन खर्च नहीं कर पाती।
4. रख-रखाव की लागत: निर्मित परिसंपत्तियों (जैसे सड़कें, भवन) के रख-रखाव पर होने वाला व्यय एक बड़ी चुनौती है।
5. कर संग्रहण में कम दक्षता: स्थानीय करों और शुल्कों के संग्रह की दर कम होना भी वित्तीय कमजोरी का एक प्रमुख कारण है।

प्रश्न 4: पंचायत समिति और जिला परिषद के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच का संबंध ऊर्ध्वाधर और अंतर्संबद्ध है। यह संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है:

1. स्तरीय संबंध: जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है, जबकि पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर है। पंचायत समिति, जिला परिषद के अधीन कार्य करती है।

2. नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण: जिला परिषद को पंचायत समितियों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। यह पंचायत समितियों के बजट को स्वीकृति प्रदान करती है।
3. सहायता एवं मार्गदर्शन: जिला परिषद पंचायत समितियों को तकनीकी सहायता और प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह जिले की समेकित विकास योजना बनाने में पंचायत समितियों की मदद करती है।
4. समन्वय का केंद्र: जिला परिषद विभिन्न पंचायत समितियों के बीच समन्वय स्थापित करती है ताकि जिले के विकास कार्यों में एकरूपता बनी रहे।
5. अधीनस्थ रिपोर्टिंग: पंचायत समिति, जिला परिषद को अपने कार्यों और वित्तीय लेन-देन की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
6. अपील का मंच: जिला परिषद पंचायत समिति के कुछ निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य भी कर सकती है।

संक्षेप में, जिला परिषद एक समन्वयक और नियामक की भूमिका निभाती है, जबकि पंचायत समिति विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने की मुख्य कार्यान्वयन इकाई है।

**प्रश्न 5:** पंचायत समिति के अध्यक्ष के चुनाव, कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

**उत्तर:**

चुनाव: पंचायत समिति का अध्यक्ष समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। चुनाव की प्रक्रिया राज्य के पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है।

**कर्तव्य एवं शक्तियां:**

1. सभापतित्व करना: अध्यक्ष पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनका संचालन करता है। वह यह सनिचित करता है कि बैठक नियमों के अनुसार चले।
2. कार्यकारी प्रमुख: वह समिति के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और इसके दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है।
3. निर्णय लेना: बैठक में मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत (Casting Vote) दे सकता है।
4. प्रतिनिधित्व: वह पंचायत समिति का प्रमुख प्रतिनिधि होता है और विभिन्न औपचारिक अवसरों पर उसका प्रतिनिधित्व करता है।
5. कार्यों का पर्यवेक्षण: वह समिति के विभिन्न विभागों और अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करता है।
6. हस्ताक्षर करना: वह समिति के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, बैंक खातों और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होता है।
7. विवादों का निपटारा: वह समिति के भीतर उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने का प्रयास करता है।

**प्रश्न 6:** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर पंचायत समिति को किस प्रकार सशक्त बनाया?

**उत्तर:**

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को एक नया जीवनदान दिया और पंचायत समिति सहित सभी स्तरों की पंचायतों को सशक्त बनाया। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. संवैधानिक दर्जा: इस अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पहले ये केवल राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर थीं।
2. तीन-स्तरीय व्यवस्था: अधिनियम ने हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती (पंचायत समिति) और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया।

3. नियमित चुनाव: यह सुनिश्चित किया गया कि पंचायतों के चुनाव हर पाँच वर्ष में नियमित रूप से होंगे। यदि कोई पंचायत भैंग की जाती है, तो उसके छह महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।
4. आरक्षण: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यता और पदों का आरक्षण तथा इनमें से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इसने महिलाओं और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया।
5. कार्यों का विवेक: अधिनियम ने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले 29 विषय शामिल हैं। इनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु सिंचाई आदि शामिल हैं, जो पंचायत समिति के मुख्य कार्यक्षेत्र हैं।
6. वित्त आयोग का गठन: राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो पंचायतों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें करेगा। इससे पंचायत समिति की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।

इस प्रकार, 73वें संशोधन ने पंचायत समिति को एक स्थायित्व, वैधानिक शक्ति और वित्तीय समर्थन प्रदान किया, जिससे यह ग्रामीण विकास की एक प्रभावी इकाई बन सकी।

**प्रश्न 7: पंचायत समिति की स्थायी समितियों के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर:**

पंचायत समिति के कार्यों को सुचारू रूप से और विशेषज्ञता के साथ चलाने के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां विशिष्ट विषयों पर गहन विचार करके मुख्य समिति को सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं।

**मुख्य स्थायी समितियां एवं उनके कार्य:**

**1. वित्त एवं कराधान समिति:**

गठन: इसके सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों में से चुने जाते हैं।

कार्य: बजट तैयार करने में सहायता करना, आय-व्यय की समीक्षा करना, करों की दरों पर सलाह देना और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना।

**2. शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति:**

गठन: इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सदस्य शामिल होते हैं।

कार्य: स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की निगरानी करना, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की ओर ध्यान दिलाना, और इन क्षेत्रों में नई योजनाओं का प्रस्ताव रखना।

**3. कृषि एवं सिंचाई समिति:**

गठन: कृषि पष्ठभूमि वाले सदस्य इस समिति का हिस्सा होते हैं।

कार्य: कृषि विस्तार सेवाओं, improved बीजों के वितरण, सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव और किसानों की समस्याओं के समाधान पर विचार करना।

**4. सार्वजनिक निर्माण समिति:**

गठन: इंजीनियरिंग या निर्माण कार्यों में अनुभव रखने वाले सदस्य।

कार्य: सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों आदि के निर्माण एवं मरम्मत की योजनाओं की जांच करना और उन पर निगरानी रखना।

**5. सामाजिक न्याय समिति:**

गठन: अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला सदस्यों सहित अन्य सदस्य।

कार्य: अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी करना और उनके अधिकारों के हनन की शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।

इन समितियों का गठन पंचायत समिति के कार्यों में विशेषज्ञता, विकेंद्रीकरण और प्रभावी निगरानी लाता है।

प्रश्न 8: पंचायत समिति के कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति के कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन में निम्नलिखित बाधाएं आती हैं:

1. वित्तीय संसाधनों की कमी: यह सबसे बड़ी बाधा है। अपने राजस्व के सीमित स्रोतों के कारण समिति राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर रहती है, जो अक्सर अपर्याप्त और अनियमित होता है।
2. प्रशासनिक अक्षमता: समिति के पास पर्याप्त और प्रशिक्षित तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारियों का अभाव होता है। इससे योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता।
3. राजनीतिक हस्तक्षेप: अक्सर समिति के कार्यों में राजनीतिक दलों और उच्च स्तरीय नेताओं का अनुचित हस्तक्षेप होता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
4. सामाजिक बाधाएं: ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत विभाजन, पारंपरिक सोच और नेतृत्व के प्रति अविश्वास जैसी सामाजिक बाधाएं कार्यों में बाधा डालती हैं।
5. नौकरशाही जटिलताएं: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में लालफीताशाही और देरी का सामना करना पड़ता है।
6. जनसंख्या का दबाव और अपेक्षाएं: बढ़ती जनसंख्या और लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
7. बुनियादी ढांचे को अभाव: कई पंचायत समितियों के पास कार्यालय भवन, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।
8. वित्तीय भ्रष्टाचार: कुछ मामलों में धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप भी योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न 9: ग्रामीण विकास में पंचायत समिति की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

ग्रामीण विकास में पंचायत समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी सफलता और सीमाएं दोनों हैं।

सकारात्मक भूमिका (सफलताएं):

1. विकास योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र: पंचायत समिति कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का मुख्य माध्यम है।
2. स्थानीयकरण: यह स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाकर उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालती है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।
3. जनभागीदारी: यह ग्रामीण जनता को विकास प्रक्रिया से जोड़ती है, जिससे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होता है और लोगों में स्वयं का विकास करने की भावना पैदा होती है।
4. सामाजिक न्याय: आरक्षण के माध्यम से महिलाओं और वंचित वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने का कार्य किया है।

सीमाएं (आलोचनात्मक पक्ष):

1. वित्तीय निर्भरता: राज्य सरकारों पर वित्तीय निर्भरता इसकी स्वायत्ता और प्रभावशीलता को सीमित करती है।
2. प्रशासनिक क्षमता की कमी: तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण के अभाव में जटिल विकास परियोजनाओं का प्रबंधन कर पाना मुश्किल होता है।
3. राजनीतिकरण: अक्सर समिति के कार्य राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित होते हैं, जिससे विकास कार्य पीछे रह जाते हैं।
4. भ्रष्टाचार और अक्षलता: कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षलता के कारण योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता।
5. अधिकारों और कर्तव्यों में अस्पष्टता: कई बार राज्य सरकारें पंचायत समिति को पर्याप्त अधिकार हस्तांतरित नहीं करतीं, जबकि जिम्मेदारियां दे देती हैं।

निष्कर्ष: निस्संदेह, पंचायत समिति ग्रामीण विकास की रीढ़ है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए वित्तीय

स्वायत्ता, क्षमता निर्माण और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति आवश्यक है।

प्रश्न 10: पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच का संबंध उच्चस्तरीय निकाय और अधीनस्थ निकाय का है। यह संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट है:

1. पदेन सदस्यता: ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इस प्रकार ग्राम स्तर के प्रतिनिधियों को मध्यवर्ती स्तर पर सीधे प्रतिनिधित्व मिलता है।
2. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण: पंचायत समिति का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करे। यह ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर सकती है।
3. वित्तीय नियंत्रण: ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया गया बजट पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि ग्राम पंचायतों वित का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार कर रही हैं।
4. सहायता एवं मार्गदर्शन: पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। यह नई योजनाओं और नीतियों के बारे में ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन देती है।
5. अपीलीय क्षमता: कुछ मामलों में, ग्राम पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध पंचायत समिति के पास अपील सुनने का अधिकार होता है।
6. समन्वय का कार्य: पंचायत समिति विभिन्न ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है ताकि पूरे ब्लॉक का विकास संतुलित ढंग से हो सके।
7. रिपोर्टिंग: ग्राम पंचायतों अपने कार्यों की प्रगति और वित्तीय लेखा-जोखा पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करती हैं।

संक्षेप में, ग्राम पंचायत कार्यान्वयन की मूल इकाई है, जबकि पंचायत समिति उनके कार्यों की योजनाबद्धता, समन्वय और पर्यवेक्षण करने वाली मध्यवर्ती इकाई है। दोनों के बीच का यह संबंध पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है।